राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक : 05.06.2020
स्थान –SLBC,बिरसा मुंडा सभागार ,रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 71 वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत

Minutes of the 71th Quarterly Meeting of SLBC, JHARKHAND

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 71वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बिरसा मुंडा सभागार मे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिनांक 05.06.2020 को किया गया। इस बैठक में वित्तीय सेवाए विभाग,भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री मदनेश मिश्रा,दिल्ली एनआईसी ऑफिस से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। भारतीय रिजर्व बैंक,राँची क्षेत्रीय कार्यालय के महा प्रबन्धक श्री संजीव दयाल, योजना सह वित्त विभाग, झारखंड सरकार की विशेष सचिव, श्रीमती दीप्ति जयराज, नाबार्ड राँची क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबन्धक श्री ए के पाढ़ी, एसएलबीसी,झारखंड के महाप्रबंधक श्री रबीन्द्र कुमार दास, उपमहाप्रबंधक श्री संजीब सरकार, नाबार्ड के उपमहाप्रबंधक श्री पी॰ सी॰ दास एवं भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबन्धक श्री राजेश रंजन तिवारी एसएलबीसी सभागार मे उंपस्थित थे | इसके अतिरिक्त, सभी बैंको के राज्य नियंत्रक , सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक मे जुड़े हुए थे |

बैठक की शुरुवात मे एसएलबीसी सभागार मे उपस्थित अतिथियों को किताब भेंट कर किया गया।त्रैमासिक बैठक मे मंच का संचालन श्री विभव कुमार के द्वारा किया गया। श्री कुमार ने उपरोक्त बैठक को प्रारम्भ करने हेतु SLBC, महाप्रबंधक श्री रबीन्द्र कुमार दास को संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया |

श्री दास ने सभी लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि देश मे कोरोना महामारी एवं लॉक डाऊन की स्थिति मे भी सभी बैंककर्मी, पुलिस, चिकित्सा विभाग,मीडिया कर्मी तथा अन्य कोरोना वारियर्स के द्वारा किए गए कार्यो की सराहना की। उन्होने सभी कोरोना वारियर्स के द्वारा हमारे समाज और देश के प्रति किए गए कार्यों हेतु आभार जताया| साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 मे राज्य के सभी बैंकों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों मे निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के प्रयाशों की सराहना की,एवं सबका आभार प्रकट किया। साथ ही साथ राज्य के सभी अग्रणी ज़िला प्रबंधकों द्वारा वर्ष 2019-20 मे किए गए कार्यों की भी सराहना की| श्री दास ने बताया कि विगत वर्ष मे बैंको के कुल जमा, कृषि, MSME सेक्टर मे वृद्धि हुई है जिसके लिए समस्त बैंक,LDM, राज्य सरकार बधाई के पात्र हैं। हालाँकि कृषि मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा प्रायोजित केसीसी saturation ड्राइव की बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने हेतु बैंको को और अधिक कार्य करने की बात कही|KCC SATURATIO DRIVE के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान को सफल बनाने हेतु सभी बैंको,एलडीएम,कृषि विभाग इत्यादि को विशेष ध्यान देने की बात कही| श्री दास ने बताया कि सभी बैंकों, एलडीएम,कृषि विभाग की यह जिम्मेवारी है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस विशेष अभियान को सफल बनाएं|

श्री दास ने आगे बताया कि इस वित्तीय वर्ष मे बैंको ने Deposit Growth, Agriculture Credit Growth, MSME sector, Women Beneficiaries, Weaker Section इत्यादि क्षेत्रों मे अच्छा प्रदर्शन किया

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

है। कई अन्य क्षेत्रों में भी अपेक्षाकृत हमारे राज्य का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है | श्री दास ने बताया कि सभी बैंकों के सहयोग से सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे - पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई) तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रिय स्तर पर सरहनीय कार्य किया है | इस उपलब्धि में हमारे सभी एलडीएम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है |

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के इस विकट परिस्थिति में, जो विशेष योजनाएँ चलायी जा रही हैं , उनको झारखंड में सभी बैंकों के माध्यम से लागू करने में एसएलबीसी पूरा सहयोग करेगा | वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपए की सहायता राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 74 लाख महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों को प्रदान किया जा रहा है, जिसे बैंकों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से भुगतान किया जा रहा है | केंद्र सरकार, वित्त मंत्रलाय द्वारा चलाये जा रहे आकस्मिक सहायता योजना (ECLGS) के अंतर्गत राज्य के MSME यूनिट को बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान किया जा रहा है | हालांकि कुछ क्षेत्र जैसे एग्रिकल्चर ऋण,रुपे कार्ड एक्टिवेशन, CD रैशियो मे सुधार, RSETI क्रेडीट Linkage, एनपीए रिकवरी मे और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है।महाप्रबंधक ने सभी बैंको से 161 UNCOVERED गाँव को Banking outlets के द्वारा 30.06.2020 से पहले कवरेज सुनश्चित करने का आग्रह किया, साथ ही साथ सभी बैंकिंग औटलेट्स की जानकारी JANDHANDARSHAK WEB APP की बात कही। श्री दास ने पूर्वी सिहभूम के 100% digitisation के संबंध मे सभी बैंको,एलडीएम एवं अन्य स्टेक होल्डरों से आग्रह किया कि 30.06.2020 तक ज़िले को पूर्ण डिजिटल बनाने हेतु प्रयास करे।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान-KCC Saturation ड्राइव का जिक्र करते हुए सभी बैंको के नियंत्रकों,LDMs तथा अन्य स्टेकहोल्डरों को राज्य के सभी Uncovered किसानों को केसीसी योजना का लाभ प्रदान करने हेतु चलाये जा रहे अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। उन्होने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा देश में डेयरी, फिशरी आदि क्षेत्रों से जुड़े किसानों को भी केसीसी देने का प्रावधान है जिसमे सभी स्टेकहोल्डरों को विशेष ध्यान देना चाहिए |श्री दास ने राज्य सरकार द्वारा एनपीए रिकवरी के प्रयासों की सराहना करते हुए आगे भी सहयोग की अपेछा बतायी एवं लंबित SARFAESI,DRT,CERTIFICATE CASE के मामलों को जल्द निपटारे हेतु आग्रह किया।

इस सम्बोधन के पश्चात नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री ए के पाढ़ी को सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। श्री ए के पाढ़ी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में किसानों के हित के लिए कई कदम उठाए हैं| प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का निर्देश जारी किया गया है|केंद्र सरकार द्वारा दुग्ध सहकारी केन्द्रो मे दुग्ध की आपूर्ति करने वाले किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने का निर्देश जारी किया गया है| झारखंड में इसे सफल बनाना है| नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा जिलेवार ACP के लक्ष्य को तय करने हेतु नाबार्ड एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुपालन करने के लिए कहा गया | नाबार्ड द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु ACP मे एमएसएमई, ओपीएस एवं एनपीएस के लक्ष्य की सहमति दिया गया, किन्तु कृषि ऋण के लक्ष्य मे संशोधन के लिए कहा गया तथा उसे PLP / भारत सरकार द्वारा प्रदत लक्ष्य के अनुरूप करने को कहा गया |

श्री ए. के. पाढ़ी ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से, नाबार्ड द्वारा फसल ऋण, पशुपालन तथा मत्स्य पालन हेतु स्केल ऑफ फ़ाइनेंस तय करने के किया नये दिशानिर्देश 15 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया है | इसमें स्केल ऑफ फ़ाइनेंस तय करने के लिए जिला स्तर पर DLTC का गठन उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में किया जाना है, जिसमें जिलास्तर पर सभी संबधित विभागों के प्रमुख होंगे | इस संदर्भ में, राज्य स्तर पर कृषि सचिव, राज्य सरकार की अध्यक्षता में SLTC का गठन किया जाना है | SLTC द्वारा राज्य स्तर पर सभी जिलों के द्वारा DLTC मे अनुमोदित स्केल ऑफ फ़ाइनेंस की समीक्षा के बाद अनुमोदित करते हुये राज्य के सभी हितधारकों को सूचित किया जाना चाहिए साथ ही साथ अनुमोदित SOF की जानकारी SLBC के वैबसाइट पर भी प्रेषित किया जाना चाहिए | श्री पाढ़ी ने अपने सम्बोधन में बताया कि अभी जिला स्तर पर DLTC द्वारा पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए जो स्केल ऑफ फ़ाइनेंस प्राप्त हुआ है , उसमें कुछ जिलों में त्रुटियाँ पायी गई है , जिसमें सुधार की आवश्यकता है |

State Level Bankers' Committee ★ Jharkhand ★ BOI

श्री पाढ़ी ने बताया कि पीएम किसान लाभर्धियों को केसीसी प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर DDC की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है , जिसमें एलडीएम कमेटी के CONVENOR हैं साथ ही साथ डीडीएम नाबार्ड, जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर बैंकों के प्रतिनिधि तथा अन्य संबन्धित विभागों के अधिकारी शामिल हैं | इस कमेटी को जिला स्तर पर UNCOVERED PM KISAN किसानों की सूचि बनानी है जो केसीसी से वंचित हैं तथा संबन्धित सूची राज्य के सभी बैंको को उपलब्ध कराना है ताकि सभी UNCOVERED FARMERS को केसीसी से अछादित किया जा सके | श्री पाढ़ी द्वारा सभा को जानकारी दिया गया कि पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ सहकारी बैंक के पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों को भी मिलना शुरू हो गया है। श्री पाढ़ी ने बताया कि राज्य में कृषि भूमि के रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होने के कारण बैंकों द्वारा किसानों को केसीसी योजना का लाभ देने में कठिनाई आ रही है अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि अन्य राज्यों की भांति झारखंड में भी भू –रेकॉर्ड को अपडेट कर ऑनलाइन किया जाना चाहिए |

श्री पाढ़ी ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े Non-Loanee किसानों को भी केसीसी दिया जाना चाहिए तथा सभी बैंकों को इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने की जरूरत है | इसके साथ ही उन्होने बताया कि कृषि ग्रेजुएट को एग्री-क्लीनिक एवं एग्री-बिजनेस हेतु बैंकों द्वारा 20 लाख (व्यक्तिगत)तथा 100 लाख (ग्रुप) का ऋण देने की योजना है , जिसमें नाबार्ड द्वारा 44% (एससी-एसटी) एवं 33% (सामान्य) का अनुदान दिया जाता है इस संबंध मे भी सभी बैंको को व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिये |

इस सम्बोधन के पश्चात श्री संजीव दयाल, भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया | उन्होने एसएलबीसी को पहली बार विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक को आयोजित करने हेतु बधाई दिया | उन्होने बताया कि कोरोना महामारी में विभिन्न सरकारी योजनायों का लाभ आम लोगों तक पहुँचाने में बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की | श्री संजीव दयाल ने राज्य के लगातार गिर रहे CD- Ratio का ज़िक्र करते हुए इस विषय पर ध्यान देते अवश्यकता पर बल दिया | सभी बैंक तथा SLBC को आरबीआई एवं भारत सरकार द्वारा प्रायोजित COVID-19 के दौरान विभिन्न स्कीमों को सभी Eligible तथा ज़रूरतमन्द applicants को प्रदान करने को कहा।

श्री दयाल ने NRLM में गतवर्ष के उपलब्धियों के आधार पर शीर्ष तीन बैंकों को ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के कुल बजट का 68% लक्ष्य देने पर अपनी आपत्ति जताई तथा इसमें अन्य बैंकों को भी लक्ष्य आबंटन की बात कही| उन्होने सामाजिक सुरक्षा योजना (पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई) में सभी बैंकों की उपलब्धियों की सराहना की, साथ ही राज्य में 1.36 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों का ज़िक्र करते हुए बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजना में बाकी बचे हुए योग्य खातों को भी कवरेज करने हेतु बैंको को आवश्यक कदम उठाना चाहिए | श्री दयाल ने सभी COMMERCIAL बैंक तथा पेमेंट बैंकों को बीसी/ सीएसपी की विस्तृत जानकारी एसएलबीसी के साथ साझा करने की बात कही | उन्होने Airtel पेमेंट बैंक,Paytm तथा IDFC First बैंक को भी BC का डाटाबेस एसएलबीसी के साथ साझा करने को कहा | Goverment sponsored cases मे बढ़ते एनपीए का ज़िक्र करते हुए श्री दयाल ने कहा कि यह केवल बैंकों के लिए ही चिंता का विषय नहीं है परन्तु सभी Implementing Agency तथा राज्य /केंद्र के संबन्धित विभागों को ध्यान देना चाहिए। श्री दयाल ने आगे के संबोधन मे FLC COUNSELLOR की नियुक्ति का ज़िक्र करते हुए बताया कि पिछले 02 बैठकों से इस विषय का ज़िक्र किया जा रहा है परंतु BOI के द्वारा अभी भी COUNCELLORS की नियुक्ति नहीं हो पायी है। RSETI खूँटी,लोहरदगा,पूर्वी सिंघभूम के संबंध मे आरबीआई के द्वारा VISIT का ज़िक्र करते हुए बताया कि उपरोक्त संस्थानों के Director की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।वर्तमान में राज्य के 161 गाँव मे बैंकिंग इनफ्रास्ट्रक्चर आज भी उपलब्ध नहीं है। डीएफ़एस के दिशानिर्देशनुसार 30.06.2020 तक इन uncovered villagesको बैंकिंग सर्विस से जोड़ना है एवं इस संबंध मे एसएलबीसी को सर्टिफिकेट देने की बात कही गयी है | अंत मे श्री दयाल ने सभी एलडीएम को COVID महामारी के मद्देनजर DLCC की बैठक VC द्वारा या अन्य विकल्पों से करने की बात कही।

इसके पश्चात विशेष सचिव, योजना एवं वित्त सचिव श्रीमति दीप्ति जयराज, को सभा को संबोधित करने हेतु बुलाया गया। उन्होने सभी बैंक कर्मियों को कोरोना महामारी के दौर में राज्य के 74 लाख पीएम गरीब कल्याण योजना एवं 14 लाख पीएम किसान लाभार्थीयों को उनके खाते के माध्यम से भुगतान करने हेतु धन्यवाद

State Level Bankers' Committee ★ Jharkhand ★ BOI

दिया | उन्होने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आत्मनिर्भर भारत पैकेज में हमें चार बिन्दुयों पर कार्य करने की जरूरत है |

1) केसीसी Saturation:-- राज्य के सभी पीएम किसान लभूकों को, जिनको अभी तक केसीसी योजना का लाभ नहीं मिला है , उन्हे केसीसी देना बैंकों की पहली प्राथमिकता है | राज्य के 12.71 लाख पीएम किसान लाभर्थियों में 5.08 लाख किसान अभी केसीसी से वंचित है |
2) राज्य के डेरी किसान, जो अपना दूध झारखंड दुग्ध को-ओपरेटिव सोसाइटी को सीधे बेचते है , उन्हे केंद्र सरकार की नई योजना के अंतर्गत बैंकों को केसीसी प्रदान करना है |
3) एमएसएमई सैक्टर से जुड़े सभी योग्य यूनिट को Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) के तहत ऋण प्रदान किया जाना है |
4) जेएसएलपीएस से जुड़े एसएचजी ग्रुप के सभी लंबित क्रेडिट लिंकेज आवेदनों को बैंकों द्वारा निष्पादित किया जाना है | उन्होने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एसएचजी ग्रुप को 20 लाख तक collateral free ऋण उपलब्ध कराने की योजना है | बैंकों में 10 लाख से 20 लाख वृद्धि होने वाले सभी लंबित एसएचजी आवेदनों को तत्काल निष्पादित करने को कहा |

विशेष सचिव महोदया द्वारा जानकारी दिया गया कि राज्य सरकार बैंकों के एनपीए वसूली के लिए जिला स्तर पर अधिकारी की नियुक्ति की योजना है , जिससे बैंकों को वसूली में सहयोग मिले एवं वे निडर होकर फ़ाइनेंस कर सके | उन्होने सभा को बताया कि झारखंड में डिजिटल ई-स्टांपिंग को मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है और यह शीघ्र ही लागू होगी , इससे बैंकों को तेजी से ऋण देने में सहयोग मिलेगा |

इस संबोधन के पश्चात श्री मदनेश मिश्रा,संयुक्त सचिव,DFS,भारत सरकार को दिल्ली से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सम्बोधन के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होने सर्वप्रथम एसएलबीसी को कोरोना महामारी के दौर में वर्चुअल बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन करने हेतु बधाई दिया, साथ ही इस विषम परिस्थिति में भी बैंक एवं इन्शुरेंस कंपनी के द्वारा किए गए कार्यों की सरहना की |

श्री मिश्रा ने बताया कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीब महिलायों को PMJDY खाते मे 500/- रुपये प्रत्येक महीने तीन किस्तों मे प्रदान की जा रही है। श्री मिश्रा ने बताया कि प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त में महिलायों द्वारा क्रमश: 44% तथा 42% निकासी किया गया, जिससे यह पता चलता है कि महिलाये पैसों की अहमियत को समझती हैं तथा आवश्यकतानुसार निकासी कर रही हैं | श्री मिश्रा ने एसीपी का ज़िक्र करते हुए बताया कि वर्ष 2019 की तुलना में 2020 कृषि क्षेत्र में राज्य की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है , जबकि एमएसएमई में लगभग लक्ष्य के करीब है | अतः बैंकों को इन क्षेत्रों मे सुधार करने की आवश्यकता है | उन्होने बताया कि झारखंड में कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में भी काफी संभावनाये हैं,बैंकों तथा राज्य सरकार को इन उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए |

श्री मदनेश मिश्रा द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की उपस्थिती की घटती संख्या पर चिंता प्रकट की एवं बताया कि उपस्थिती नहीं होने के कारण बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य सरकार का पक्ष या सहयोग नहीं मिलता है | उन्होने बताया कि जिला स्तर पर उपायुक्त के पास अभी भी कई SARFAESI के मामले लंबित हैं। इन सभी मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे बैंकों को ऋण वसूली में परेशानी हो रही है| इस क्रम में श्री मिश्रा ने राज्य मे ई-Stamping लागु करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया कि अन्य राज्यों की भांति इस व्यवस्था को तुरंत लागु किया जाना चाहिए। सीडी-Ratio कम होने के संबंध मे श्री मिश्रा ने कहा कि झारखंड में अन्य राज्यों की तुलना में एमएसएमई के क्षेत्र में फ़ाइनेंस की अपार संभावना है | उन्होने राज्य के प्रवासी मज़दूरों के घर वापसी पर राज्य सरकार से अनुरोध किया कि सरकार को ऐसे नियम बनाने की जरूरत है , जिससे राज्य में अधिक से अधिक नए उद्योग लगाए जाए एवं प्रवासी मज़दूरों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध हो सके | इस कार्य में बैंकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है | श्री मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर पैकज के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु एमएसएमई एवं कृषि के क्षेत्र में कई योजनाएँ चलायी जा रही है, सभी बैंकों को इस संबंध मे और कार्य करने की आवश्यकता है | श्री मिश्रा ATR से संबन्धित मामलों का ज़िक्र करते हुए कहा कि कुछ मामले लंबे

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

समय से लंबित हैं तथा SLBC की बैठक मे निरंतर ज़िक्र होते हैं परंतु निष्पादन नहीं हो पा रहा है। श्री मिश्रा ने कहा कि उक्त सभी मामलों का निपटारा अगली एसएलबीसी की बैठक से पहले पूरी हो जानी चाहिए | साथ ही साथ उन्होने कृषि क्षेत्र मे उपलब्धियों की समीक्षा एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक के बजाए मासिक करने का सुझाव दिया |

इस संबोधन के पश्चात श्री राजीव कुमार, सीईओ, जेएसएलपीएस, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार को सम्बोधन के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होने अपने सम्बोधन में बताया कि एसएचजी महिला समूहों का विस्तार राज्य के सभी प्रखंडों एवं जिलों के 27000 गाँवों मे हो चुका है | इस समय राज्य में 2.47 लाख महिला एसएचजी समूह का गठन हो चुका है | उन्होने बताया कि गत वर्ष राज्य में 75000 एसएचजी क्रेडिट लिंकेज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था , जिसमें क्रेडिट लिंकेज की उपलब्धि 95% तथा ऋण वितरण की उपलब्धि 91% रही | उन्होने बताया कि बैंकों के सहयोग से एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिला है | उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु एसएचजी क्रेडिट लिंकेज का लक्ष्य 88400 निर्धारित किया गया है तथा 7500 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य दिया गया है | उन्होने यह भी बताया कि अभी तक 9500 एसएचजी क्रेडिट लिंकेज हेतु आवेदन विभिन्न बैंकों में जमा है , उन्हे बैंकों द्वारा निष्पादित किया जाना है | इसी क्रम में, उन्होने बताया कि 10 लाख से 20 लाख ऋण सीमा मे 128 एसएचजी के आवेदन विभिन्न शखाओ मे लम्बित हैं जिसका त्वरित निष्पादन करने की आवश्यकता है |

उन्होने बताया कि MoRD द्वारा RSETI से ट्रेनिंग लेने वाले पुराने लोगों को भी ऋण उपलब्ध कर स्वरोजगार से जोड़ने को कहा गया है | गत वर्ष 95% की उपलब्धि हुई थी | कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को भी अधिक से अधिक ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार से जोड़ने की जरूरत है और जहां ऋण की आवश्यकता है , बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए |

इस संबोधन के पश्चात श्री अबूबक्कर सिद्दीकी, कृषि सचिव,कृषि विभाग झारखंड सरकार को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सम्बोधन के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होने राज्य में सभी किसानों को केसीसी से जोड़ने हेतु राज्य के सभी बैंकों से आग्रह किया| इस क्रम में उन्होने राज्य के सभी पीएम किसान लाभार्थियों को भी केसीसी योजना का लाभ देने की बात कही| उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पशु पालन एवं मछली पालन करने वाले किसानों को भी केसीसी देने की योजना की जानकारी देते हुये कहा कि इसके लिए ACP में अलग से लक्ष्य दिया जाना चाहिए | साथ ही उन्होने इसके लिए अलग से Scale of Finance तय किया जाना चाहिए |

कृषि सचिव द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर पैकज के अंतर्गत डेरी फ़ैडरेशन से जुड़े सभी किसानों को केसीसी देने हेतु डेरी फ़ैडरेशन को आवेदन सृजित कर बैंकों में जमा करने को कहा गया है |इस समय झारखंड राज्य मिल्क फ़ैडरेशन द्वारा राज्य के लगभग 20,000 किसान से दूध की आपूर्ति हेतु पंजीकृत किया गया है| इसके साथ ही मछली पालन से जुड़े किसानों को भी उनके स्केल ऑफ फ़ाइनेंस के आधार पर केसीसी उपलब्ध करना है |

व्यवसाय सत्र :

13 फरवरी 2020 को 70 वी. SLBC की बैठक मे प्रस्तुत सभी Agenda Items की इस सभा मे सभी स्टेक होल्डेर्स के द्वारा संपुष्टि की गयी।

राज्य सरकार से संबन्धित मामले

23.05.2019 ,को मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे हुए बैठक मे संविदा पर नीलाम पत्र पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी निर्देश दिये गए है। उक्त निर्देश के आलोक मे सभी ज़िलों मे लंबित नीलाम पत्रो की संख्या के अनुसार नीलाम पत्र पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों (संदेशवाहक,पेशकार-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर) की संविदा पर नियुक्ति एवं उनपर होने वाले अनुमानित व्यय का आंकलन कर, संबन्धित प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलामी पत्र पदाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है | हालांकि इसमे आगे की कार्यवाही की अद्यतन जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। **(एक्शन-राज्य सरकार)**

नॉन-लोनी फार्मर्स की विवरणी

68 वीं एसएलबीसी में PMFBY के तहत Non-Loanee किसानों की सूची राज्य के कृषि विभाग से उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था, किन्तु यह सूचना संबन्धित विभाग से अभी तक अप्राप्त है | **(एक्शन-राज्य सरकार)**

सर्टिफिकेट केस के मामले

सर्टिफिकेट केस का जिक्र करते हुए जानकारी दी गयी कि राज्य में अभी भी 1,34,568 सर्टिफिकेट केस के मामले विभिन्न कोर्ट में लंबित है, जिन पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है | महाप्रबंधक SLBC ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि इस विषय पर सभी सर्टिफिकेट कार्यालय को इस विषय के अनुपालन के संबंध में उचित दिशा निर्देश देने का आग्रह किया | **(एक्शन-राज्य सरकार)**

फसल ऋण तथा Animal Husbandry एवं Fisheries हेतु स्केल ऑफ फ़ाइनेंस का निर्धारण

सभी 24 जिलों में फसल ऋण हेतु वर्ष 2020-21 का स्केल ऑफ फ़ाइनेंस का निर्धारण DLTC द्वारा किया जा चुका है जिसे 29.05.2020 को SLBC की Sub Committee की बैठक मे पारित किया जा चुका है। Animal Husbandry तथा Fisheries Activity हेतु वर्ष 2020-21 का स्केल ऑफ फ़ाइनेंस का निर्धारण DLTC द्वारा किया जाना है | सभा द्वारा सभी एलडीएम तथा राज्य सरकार से अनुरोध किया कि Animal Husbandry तथा Fisheries Activity हेतु दिनांक 30.06.2020 से पहले DLTC की बैठक आयोजित कर स्केल ऑफ फ़ाइनेंस का निर्धारण करना है।**(एक्शन-राज्य सरकार/LDM/NABARD)**

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित केसीसी Saturation कैम्पेन में सभी Uncovered farmers को केसीसी प्रदान करने के विषय में

दिनांक 24.04.2020 को कृषि उप समिति की बैठक में पीएम किसान योजना के अंतर्गत सभी लाभूकों को केसीसी प्रदान करने हेतु Uncovered Farmers की जिलेवार सूची बनानी है | इस कार्य हेतु राज्य के सभी जिलों में DDC की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया जाना है | इस कमिटी के अन्य सदस्य एलडीएम , जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी बैंक शामिल है| इस कमिटी द्वारा सभी स्टेकहोल्डेर्स के साथ विचार विमर्श कर जिले के सभी Uncovered कृषकों की सूची तैयार कर केसीसी ऋण स्वीकृत करना है | अभी तक सभी जिलों से सूची प्राप्त नहीं हुई है | कृषि विभाग, झारखंड सरकार से अनुरोध है कि वे इस कार्य हेतु हमारे एलडीएम को सहयोग करें, जिससे जिलेवार Uncovered Farmers की सूची तैयार करने में सुविधा हो | **(एक्शन-एलडीएम)**

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

एफ़एलसीसी की नियुक्ति

05 ज़िलों चतरा,गिरिडीह,कोडरमा,रामगढ़ तथा बोकारो मे FLC Counselor के पोस्ट खाली है जिन पर जल्द से जल्द नियुक्ति BOI को करनी है। RBI के Guidelines के अनुपालन मे सभी Rural Branches को महीने मे एक बार Financial Literacy Camp लगाना है।बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जानकारी दी गई कि रिक्त पड़े FLC का काऊन्सलर की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर ली गई है | किन्तु अभी भी रिक्त पदों पर BOI के द्वारा किसी भी Counsellor की नियुक्ति नहीं हो पायी है | **(एक्शन-BOI)**

SLBC पोर्टल पर Standardized सिस्टम के तहत डाटा FLOW

इस संबंध मे सभी स्टेकहोल्डेर्स के साथ बैठक कर SLBC द्वारा बैंको को सूचित किया जा चुका है। RBI ने दिनांक 16 जनवरी 2020 को पत्र के माध्यम से सभी SLBC CONVENOR बैंको को इस विषय के आलोक मे उचित दिशा निर्देश दिया गया था। दिनांक 23.01.2020 को RBI ने ईमेल के द्वारा Block Codes की अद्यतन सूची प्रदान की । SLBC के द्वारा सभी बैंको को 263 Block की सूची ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। सभी बैंको से दिनांक 29.01.2020 तक इस विषय की प्रगति रिपोर्ट मांगी गयी थी। हालांकि केवल 09 बैंको के द्वारा ही इसकी रेपोर्टिंग की गयी है। 07.02.2020 को SLBC सब Committee मे Monitoring Committee द्वारा सभी बैंको की इस विषय मे समीक्षा की गयी। RBI के निर्देशानुसार सभी Commercial बैंक,प्राइवेट बैंक,ग्रामीण बैंक,को-operative बैंक,Small finance बैंक को 31 मार्च 2020 से पहले Standardized Data flow सिस्टम को develop था। Standardized Data flow सिस्टम को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए बैकों द्वारा पूर्ण प्रयास किया जा रहा है | इस कार्य की प्रगति की समीक्षा मोनिट्रिंग कमेटी द्वारा निरंतर अंतराल पर की जा रही है। इस संबंध में SLBC द्वारा सभी बैंको को LOGIN ID एवं पासवर्ड प्रदान किया जा चुका है हालाँकि केवल10बैंकों द्वारा हमें ब्लॉक कोड के साथ सैंपल फ़ाइल मिला है , अतः सभी बैंकों से अनुरोध है कि दिनांक 15.07.2020 तक का सैंपल डाटा फ़ाइल एसएलबीसी के पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे एसएलबीसी की आगामी बैठक में इसको शामिल किया जा सके |**(एक्शन-सभी बैंक)**

Agri-Sub Committee की बैठक को नाबार्ड द्वारा Co-chair करने के संबंध में

Agri-Sub Committee की बैठक तय समय पर नहीं होने के कारण इस कमेटी के संयोजक नाबार्ड द्वारा Co-Chair करने का अनुरोध किया गया | इस संबंध में, दिनांक 01.04.2020 के बाद कुछ बैंकों के विलय के कारण, एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों का पुनर्गठन किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी SLBC कार्यसूची संख्या 10 में उपलब्ध है | जिसका अनुमोदन एसएलबीसी की बैठक मे सभा द्वारा किया गया।**(एक्शन-सभी बैंक/स्टेकहोल्डेर्स)**

RBI के Internal working ग्रुप के सुझावों के अनुरूप Agriculture E-Credit की समीक्षा करना

RBI के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र के आलोक में Internal Working ग्रुप के सुझावों के अनुरूप Agriculture क्रेडिट की समीक्षा हेतु Agriculture Sub-Committee की बैठक में इस विषय को regular agenda में शामिल करने को कहा गया था, जिसे एसएलबीसी की कृषि उप समिति की पिछली बैठक 24.04.2020 में एग्रिकल्चर क्रेडिट की समीक्षा के प्रस्ताव को शामिल किया गया |**(एक्शन-सभी बैंक/स्टेकहोल्डेर्स)**

DLCC की बैठक

एलडीएम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मार्च,20 तिमाही की DLCC की बैठक 06 जिलों में नहीं हो पायी है | ये जिलें हैं, बोकारो, चतरा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार एवं सिमडेगा | सभी एलडीएम से DLCC की बैठक तुरंत करने को कहा गया | नाबार्ड द्वारा बताया गया कि खूंटी में पिछले एक वर्ष से DLCC की बैठक नहीं हो पायी है | खूंटी एलडीएम द्वारा जानकारी दी गई कि खूंटी उपायुक्त द्वारा जिले के बैंकों की प्रगति संतोषजनक नहीं होने के कारण उन्होने DLCC की बैठक नहीं कराने का निर्णय लिया गया है | RBI द्वारा एसएलबीसी, बैंक ऑफ इंडिया तथा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि इस समस्या का निदान किया जाए तथा डीएलसीसी की बैठक कराई जाए | **(एक्शन-सभी संबन्धित LDM)**

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

राज्य सरकार द्वारा KCC खातों में 3% अतिरिक्त Interest Subvention

राज्य सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में भी केसीसी खातों में 3% Interest Subvention दिया जा रहा है | सभी बैंकों को यह क्लेम राज्य के Co-Operative बैंक के करना है | झारखंड राज्य Co-Operative बैंक से प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार 09 बैंकों ने वर्ष 2017-18 के लिए क्लेम किया था, जिसमें से 07 बैंकों को 1.55 करोड़ का क्लेम दिया जा चुका है | अन्य बैंकों से भी अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा केसीसी खातों में 3% Interest Subvention के लाभ को ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिल सके | बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा सभी पत्र किसानों को राज्य सरकार के माध्यम से केसीसी खातों मे 3% Interest Subvention claim दिलाने कि प्रक्रिया की जा रही है | **(एक्शन-सभी संबन्धित बैंक)**

राज्य में घोषित सुखाड़ के तहत affected किसानों को Relief Measures प्रदान करना

झारखंड में सुखाड़ घोषणा के उपरांत सभी बैंक को अधिसूचना की प्रति 30-11-2018 को आरबीआई के संबन्धित circular के साथ एसएलबीसी द्वारा भेजी जा चुकी है। RBI के डेडिकेटेड पोर्टल पर हर महीने की 10 तारीख तक किसानों को जो Relief Measures MASTER DIRECTION के अनुसार दिए गए है उसके आंकड़े अपलोड करने है| सभी बैंक से आग्रह किया गया कि इस निर्देश का पालन करें। बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार RBI के dedicated पोर्टल में Relief Measures को RBI Master Direction के अनुसार हर महीने बैंकों के प्रधान कार्यालय द्वारा अपलोड किया जाता है |**(एक्शन-सभी संबन्धित बैंक)**

Deepening of Digital Payments के लिए SLBC sub-committee का गठन

आरबीआई के पत्र संख्या FIDD.CO.LBS.475/02.01.001/2019-20 दिनांक 27.08.2019 के आलोक में SLBC Convenor बैंक को SLBC Sub Committee on Digital Payments गठित करने को कहा गया था। इस संबंध में SLBC द्वारा सभी स्टेकहोल्डेर्स के साथ दिनांक 20.12.2019 को बैठक की गयी, जिसमें इस विषय पर विस्तृत परिचर्चा के उपरांत SLBC Sub-Committee का गठन किया जा चुका है । हालाँकि इस संबंध मे RBI द्वारा SLBC को रोड map तैयार कर सभी स्टेकहोल्डेर्स के साथ मीटिंग करनी है।**(एक्शन-सभी संबन्धित सदस्य)**

MSMEs के लिए Interest Subvention

MSME Sector को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2020 तक Additional Finance पर Interest Subvention देने का प्रावधान है जिसका इम्प्लिमैनटेशन SIDBI को करना है । Jharkhand Small Industry Association से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के eligible MSMEs को Interest Subvention का लाभ नहीं मिल प रहा है । बैंकों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सैक्टर में अतिरिक्त ऋण देने का प्रयास किया जा रहा है साथ ही Interest Subvention के प्रावधान का अनुपालन की जानकारी चिन्हित कर ली गई है।**(एक्शन-सभी संबन्धित बैंक)**

Area Based Development Scheme

AREA BASED DEVELOPMENT SCHEME के संदर्भ मे सभी LDM को सुझाव दिया जाता है कि इस बारे मे और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। AREA BASED DEVELOPMENT SCHEME की जानकारी SLBC की वैबसाइट पर उपलब्ध करा दी गयी है। कुछ LDM के द्वारा AREA BASED DEVELOPMENT SCHEME की अपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में SLBC वेबसाइट से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर जिले के सभी बैंकों को इसकी जानकारी विभिन्न बैठकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है ।**(एक्शन-सभी संबन्धित बैंक/नाबार्ड)**

RSETI

रामगढ RSETI के भवन निर्माण के संदर्भ में BOI (हैड ऑफिस) के द्वारा RSETI Ramgarh के निर्माण हेतु NACER की स्वीकृति मांगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार NACER द्वारा PNB को पत्र लिख रामगढ़ RSETI हस्तांतरण के वर्तमान स्थिति पर जानकारी मांगी गई थी। बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीओआई को रामगढ़ RSETI के अधिग्रहण की अनुमति प्राप्त हो चूंकि है एवं इसके आगे की प्रक्रिया की जा रही है ।

श्री राजीव कुमार, CEO, JSLPS द्वारा Rseti Credit linkage की समस्या को बताते हुए बैंको मे लंबित आवेदन के जल्द निपटारा करने का आग्रह किया। बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके द्वारा अपनी सभी शाखायों को क्रेडिट लिंकेज के लंबित पड़े आवेदनों को जल्द से जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया जा चुका है । **(एक्शन-सभी संबन्धित बैंक/RSETI)**

State Level Bankers' Committee ★ Jharkhand ★ BOI

LDMs के लिए Capacity Building प्रोग्राम

68 वीं SLBC की बैठक में सभी LDM के लिए तीनों अग्रणी बैंकों (इलाहाबाद बैंक, बीओआई एवं एसबीआई) द्वारा हर तिमाही में एक बार Capacity Building प्रोग्राम करने को कहा गया था। इस दिशा में पिछली दो तिमाही के दौरान बीओआई द्वारा Capacity Building प्रोग्राम का आयोजन किया जा चुका है । अन्य लीड बैंक एसबीआई एवं इलाहाबाद बैंक (अब, इंडियन बैंक) द्वारा मार्च तिमाही के दौरान दोनों बैंकों को एक-एक Capacity Building प्रोग्राम आयोजित करना था | एसबीआई द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण फिलहाल ये प्रोग्राम आयोजित करना संभव नहीं है , हालांकि इसके पूर्व में भी एसबीआई द्वारा इस प्रोग्राम के तिथियों कि जानकारी नहीं दी गई है |इस संबंध में आरबीआई द्वारा दोनों बैंकों के प्रतिनिधि से जल्द से जल्द अपने लीड बैंक जिले में Capacity Building प्रोग्राम करने को कहा गया, जिसपर उनके प्रतिनिधि द्वारा सहमति दिया गया | **(एक्शन-सभी संबन्धित बैंक /RSETI)**

बैंको के विलय के कारण रिपोर्टिंग करने वाले संबन्धित बैंकों को निर्देश

एसएलबीसी द्वारा बताया गया कि 01, अप्रैल 2020 के बाद 06 बैंकों के विलय होने की स्थिति में एसएलबीसी तथा RBI को सभी प्रकार के रिपोर्ट जमा करने की जिम्मेवारी प्राधिकृत (Anchor) बैंक की होगी। **(एक्शन-सभी संबन्धित बैंक)**

Doubling ऑफ Farmers Income by 2022

इस विषय के संबंध मे सभी बैंको को एकीकृत रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। हालाँकि, कृषि के क्षेत्र मे ACP टारगेट 2019-20 के सापेक्ष वार्षिक उपलब्धि काफी निरासाजनक है। सभी LDMs इस विषय पर Monitoring एवं Progress review के लिए NABARD द्वारा सुझाए Benchmark को ध्यान मे रखते हुए इस मुद्दे को हर DCC/DLRC की बैठक मे शामिल करना चाहिए। इस विषय में बैंकों द्वारा अपने सभी शाखाओं को निर्देश दिया गया है | एलडीएम द्वारा प्रत्येक DCC/DLRC/बीएलबीसी की बैठक में शामिल करने का निर्देश दिया गया तथा बैठक की कार्यवाही नाबार्ड /RBI /एसएलबीसी को प्रेषित करने को कहा गया। **(एक्शन-सभी संबन्धित बैंक/एलडीएम)**

विद्या लक्ष्मी पोर्टल

सभी बैंको के नियंत्रक प्रमुखों का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन किया जाए एवं बिना वैद्य कारणों के आवेदनों को अस्वीकृत नहीं करे। विद्यालक्ष्मी पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक आवेदन निम्न पाँच बैंकों में लंबित थे :-- SBI-781, CBI-546,BOB-186, IDBI-83 एवं HDFC-64. संबन्धित बैंकों से निवेदन है कि वे अतिशीघ्र लंबित आवेदनों का निपटारा करें|**(एक्शन-सभी संबन्धित बैंक/एलडीएम)**

Uncovered Villages को Jan Dhan Darshak App पर अपलोड करना

दिनांक 21.04.2020 को डीएफ़एस द्वारा अद्यतन जानकारी के अनुसार 161 Village अभी भी Uncovered पाये गए हैं| अग्रणी जिला प्रबन्धकों/SLBC द्वारा बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने के संबंध में संबन्धित बैंकों को सूचित किया जा चुका है ।निम्न बैंकों को Uncovered लोकेशन बैंकिंग आउटलेटस से कवर करने के लिए आबंटित किया गया है :--

1) बीओआई-102
2) JRGB:-- 33
3) CANARA Bank :-- 16
4) एसबीआई:-- 04
5) BOB :-- 03
6) PNB :-- 01
7) IOB :-- 01
8) HDFC :-- 01

आरबीआई द्वारा 30.06.2020 से पहले सभी 161 uncovered villages को बैंकिंग आउटलेटस से कवर करना है |सभी संबन्धित बैंकों से अनुरोध है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए 30.06.2020 से पहले कवर करना है |**(एक्शन-सभी संबन्धित बैंक/एलडीएम)**

APY Citizen's Choice 2020 Campaign

PFRDA द्वारा 01.02.2020 से 31.03.2020 तक पूरे देश में APY Citizen's Choice 2020 Campaign की शुरुआत की गयी। इस अभियान में SLBC तथा LDMs को APY enrollment का टारगेट दिया गया है ।SLBC को अभियान के अंतर्गत 30,000 APY का लक्ष्य दिया गया है । जिन जिलों में 100% लक्ष्य की प्राप्ति हुई उनके नाम है:-- गुमला, खूंटी, चतरा, साहिबगंज, गोड्डा, गिरिडीह, देवघर, लातेहार एवं पाकुड़ । 100% से अधिक लक्ष्य प्राप्त करने वाले बैंक है:-- Axis बैंक, IOB बैंक, इलाहाबाद बैंक एवं JRGB.लक्ष्य प्राप्त करने वाले एलडीएम को PFRDA द्वारा Certificate of Excellence प्रदान किया जाएगा ।**(एक्शन-सभी संबन्धित बैंक/एलडीएम)**

विविध कार्यसूची

1. **ACP 2020-21 का निर्धारण:-** वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु ACP का निर्धारण जिलास्तर पर तैयार एवं स्वीकृत होकर एसएलबीसी को प्राप्त हुआ है । एसएलबीसी की सब-कमेटी की बैठक में ACP 2020-21 पर चर्चा के दौरान नाबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इसमें वर्ष 2020-21 हेतु कृषि ऋण के लक्ष्य निर्धारण GoI / नाबार्ड पीएलपी के अनुरूप नहीं है अतः सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धको को निर्देश दिया गया कि 30.06.2020 तक कृषि क्षेत्र मे DCP का पुनर्निर्धारण नाबार्ड एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशो के अनुरूप किया जाना चाहिए। हालाँकि नाबार्ड द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु ACP मे MSME,OPS तथा NPS के लक्ष्यों पर सहमति प्रदान की गयी तथा सभा द्वारा अनुमोदित किया गया।**(एक्शन-सभी एलडीएम)**
2. **CD ratio** :- राज्य के 17 जिलों में ऋण जमा अनुपात 40% से कम रहा है ।जिले के DCC/DLRC के अंतर्गत सीडी ratio के Sub-Committee में इसकी चर्चा की जानी चाहिए। CD ratio से संबन्धित पिछले तिमाही का Monitorable action plan केवल 05 LDM के द्वारा SLBC को प्रेषित किया गया है। इस संबंध मे वैसे सभी ज़िले, जिनका सीडी रेशियो 40% से कम है ,उनके LDM को ज़िले का Monitorable action plan SLBC इस माह के अंत तक प्रेषित करना है। **(एक्शन-सभी LDMs)**
3. **Scale of Finance Animal Husbandry एवं Fisheries एक्टिविटी हेतु :--** वर्ष 2020-21 के लिए फसल ऋण, पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु स्केल ऑफ फ़ाइनेंस का निर्धारण जिलास्तर पर DLTC द्वारा सभी जिलों में निर्धारित किया जा चुका है। एसएलबीसी की सब-कमेटी की बैठक में चर्चा के द्वारा के दौरान नाबार्ड द्वारा बताया कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु स्केल ऑफ फ़ाइनेंस के निर्धारण में कुछ त्रुटियां पाई गई , जबकि फसल ऋण का निर्धारण सही पाया गया। Animal Husbandry एवं Fisheries activity हेतु स्केल ऑफ फ़ाइनेंस का निर्धारण केवल working capital factor के लिए होना चाहिए। इस संबंध में कृषि विभाग से अनुरोध किया गया कि संबन्धित ज़िलों के कृषि एवं मत्स्य विभाग को इसके निर्धारण की कार्यवाही 30.06.2020 से पहले कर लेनी है एवं संबंधित LDMS को भी निर्देश दिया गया है कि SCALE OF FINANCE के निर्धारण में DLTC के साथ समन्वय बैठाते हुए शीघ्र SLBC/ नाबार्ड को सूचित करें।

    (एक्शन-सभी LDMs/राज्य सरकार/NABARD)
4. **पीएम किसान लभूकों के uncovered farmers की सूची :--** दिनांक 24.04.2020 को कृषि उप समिति की बैठक में पीएम किसान योजना के अंतर्गत सभी लाभूकों को केसीसी प्रदान करने हेतु Uncovered Farmers की जिलेवार सूची बनानी है | इस कार्य हेतु राज्य के सभी जिलों में DDC की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया जाना है | इस कमिटी के अन्य सदस्य एलडीएम , जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी बैंक हैं| इस कमिटी द्वारा सभी स्टेकहोल्डेर्स के साथ विचार विमर्श कर जिले के सभी Uncovered कृषकों की सूची तैयार कर केसीसी ऋण स्वीकृत करना है

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

|प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार सभी एलडीएम के द्वारा कुल 5.08 लाख uncovered फार्मर्स की संख्या बतायी गयी है अभी तक 22 जिलों से सूची प्राप्त हो चुकी है | पाकुर तथा चतरा की सूची अप्राप्त है। कृषि विभाग, झारखंड सरकार से अनुरोध है कि Uncovered फार्मर्स के KCC ऋण हेतु एप्लिकेशन Sourcing मे बैंको तथा एलडीएम को सहयोग करें, जिससे जिलेवार Uncovered Farmers को बैंको द्वारा तय समय मे केसीसी उपलब्ध कराया जा सके |**(एक्शन-सभी एलडीएम/बैंक)**

5. **<u>डेरी किसानों को स्पेशल ड्राइव के माध्यम से animal Husbandry के लिए केसीसी :-</u>** केंद्र सरकार डिपार्टमेंट ऑफ Animal Husdandry & Fisheries द्वारा 01.06.2020 से देश के सभी डेरी कॉ-ओपरेटिव को दूध की आपूर्ति करने वाले निबंधित किसानों को स्पेशल ड्राइव चलाकर केसीसी प्रदान करने की योजना है । यह योजना भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। इस संबंध में राज्य के झारखंड राज्य मिल्क फ़ेडरेशन द्वारा आवेदन सृजित किया जा रहा है, जिसे संबन्धित बैंको द्वारा केसीसी ऋण स्वीकृत किया जाना है।|**(एक्शन-सभी एलडीएम/बैंक)**
6. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 21.04.2020 को दिये गए अद्यतन जानकारी के अनुसार राज्य के 161 गांव अभी भी Uncovered पाये गए है । संबन्धित जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक के द्वारा गाँवो को बैंकिंग आउटलेट द्वारा कवर करने के लिए बैंकों में आवंटन कर दिया गया है। सभी बैंकों को डीएफ़एस ने निर्देशित किया है कि 30 जून 2020 तक आवंटित गांव को बैंकिंग आउटलेट से कवर कर लिया जाए। इस संबंध में सभी संबंधित बैंकों को गाँवों को कवर करने वाले बैंकिंग आउटलेट्स एवं गांव का विवरण तथा Longitude /LATITUDE जन धन दर्शक जीआईएस वेब पोर्टल पर अपडेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। Department of telecom को वैसे 105 village की सूची प्रदान की गयी है जहां नेटवर्क की समस्या अभी भी है। DOT से अनुरोध किया गया कि इन सभी गांव मे नेटवर्क कनेक्टिविटी की समश्या को दूर करने हेतु प्रयाश करें। **(एक्शन-सभी संबन्धितबैंक/एलडीएम/DOT)**
7. **पौंजी योजनाये/असंगठित निकायों,फ़र्म / कम्पनियों की अवैध गतिविधिया**- इस संबंध मे RBI DGM ने बताया कि ऐसी घटनाओ की जानकारी मिलने पर उसका Modus operandi SLBC को प्रेषित करना चाहिए जिससे कि संबन्धित घटना को SLBC बुक मे प्रकाशित किया जा सके। **(एक्शन-सभी बैंक/एलडीएम)**
8. **Digital ज़िला चिन्हित करना**- RBI के Governor की 19 जुलाई 2019 को PSBs के MD/ED के साथ बैठक हुई थी। श्री नन्दन नीलकनी की अध्यक्षता मे गठित Committee on Deepening of Digital Payments के रिपोर्ट तथा RBI के पेमेंट System Vision Documents 2021 के आधार पर गवर्नर RBI ने सभी राज्य के LEAD BANK को राज्य के एक ज़िले को चुनाव कर उस ज़िले को एक वर्ष की समय सीमा मे पूर्ण डिजिटल करने का लक्ष्य दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया एवं SLBC ने पूर्वी सिंघभूम ज़िले को इस योजना के लिए चयन किया है। इस प्रक्रिया मे बैंक ऑफ इंडिया के अलावा सभी बैंक, राज्य सरकार,RBI के राज्य कार्यालय का सहयोग अपेक्षित है। एलडीएम पूर्वी सिंघभूम के देखरेख मे इस योजना को पूरा करना है। इस संबंध मे वित्त विभाग द्वारा ज़िले को निर्देश दिया जा चुका है। एलडीएम पूर्वी सिंघभूम के द्वारा बताया गया कि अभी तक OVERALL , 80% लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। हालाँकि SLBC द्वारा सभी बैंको तथा MFIN कंपनियो से अनुरोध किया गया कि आरबीआई द्वारा निर्देश दिया गया कि तय लक्ष्यों को 30 October, 2020 से पहले हासिल करने का प्रयास करें। **(एक्शन-सभी बैंक,ज़िला प्रशासन/संबन्धितLDM)**
9. **Less cash / डिजिटल बैंकिंग**- हमारे राज्य मे less cash तथा डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र मे और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।POS मशीन के क्षेत्र मे और भी ज्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। Rupay card एक्टिवेशन के क्षेत्र मे काफी धीमा कार्य हुआ है इस विषय पर भी सभी बैंको को ध्यान देने की आवश्यकता है। Rupay Card डिस्ट्रिब्यूशन के समय ही एक्टिवेशन को सुनिश्चित करने से digital transaction को बढ़ावा दिया जा सकता है। **(एक्शन-सभी बैंक)**

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

10. **National Bamboo Mission**- भारत सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान पुनः संरचित राष्ट्रीय बाँस मिशन की शुरुवात की गयी। नाबार्ड के द्वारा इस विषय मे एक कार्यशाला आयोजित की गयी थी। सभी बैंको को इस Mission को झारखंड राज्य मे सफलीभूत करने के लिए ऋण प्रवाह करने की आवश्यकता है। **(एक्शन-सभी बैंक/NABARD)**

11. **Doubling ऑफ Farmers Income by 2022**- इस विषय के संबंध मे सभी बैंको को एकीकृत रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। सभी LDMs इस विषय पर Monitoring एवं Progress review के लिए NABARD द्वारा सुझाए Benchmark को ध्यान मे रखते हुए इस मुद्दे को हर DCC,DLRC की बैठक मे शामिल करना चाहिए। आगामी जून,2020 तिमाही से सभी एलडीएम को DLCC/ BLBC मे इस विषय को नियमित अजेंडा मे शामिल करना है एवं DLCC/ BLBC की बैठक की कार्यवाही नाबार्ड /एसएलबीसी को उपलब्ध करानी है। **(नाबार्ड Circular No: 328/CPD-10/2019 दिनांक 31 December 2019) (एक्शन-सभी बैंक/LDM/NABARAD)**

12. **Implementation of Digital E-Stamping facility on Bank Guarantees:** IBA के दिशानिर्देश के आलोक मे Digital E-Stamping facility on Bank Guarantees को राज्य मे लागू करने हेतु इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता है। IBA के द्वारा यह बताया गया है कि वर्तमान मे यह सुविधा देश की राजधानी नई दिल्ली मे लागू है अन्य सभी राज्यो मे भी दिल्ली के तर्ज पर इस व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। इस सुविधा को अपने राज्य मे लागू करने के संबंध मे SLBC द्वारा राज्य सरकार के सचिव, Department of Land एवं Revenue को दिनांक 03.02.2020 को पत्र के माध्यम से सूचित किया जा चुका है। IFPI,GoJ के द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार इस संबंध मे कार्यवाही कर रही है एवं जल्द ही राज्य मे यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। **(एक्शन-राज्य सरकार)**

13. **RURAL HOUSING INTEREST SUBSIDY स्कीम:** National Housing Bank (एनएचबी) के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों मे Housing लोन के लिए Interest subsidy की व्यवस्था है जो कि Ministry of Rural Development (MoRD) के द्वारा Monitoring किया जा रहा है। COVID-19 के दौरान बाहुतायत मे Migrant labourer का झारखंड मे आगमन हुआ है अतः सभी बैंको से अनुरोध किया गया कि इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर Rural Housing मे interest subsidy प्रदान की जा सकती है। NHB को इस स्कीम के लिए नोडल agency बनाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए NHB से संपर्क किया जा सकता है।
(एक्शन-सभी बैंक/LDM)

(रवीन्द्र कुमार दास)
महाप्रबंधक,रा. स्त. बै. स.

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand